<u>जनपद बाराबंकी</u>

प्रेसनोट सं0 -35 **दिनांक 17.10.2024**

स्वाट/सर्विलांस व थाना असन्द्रा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा महिला हत्याकाण्ड का सफल अनावरण कर भतीजे सहित दो हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल चाकू बरामद-

दिनांक- 10.10.2024 को थाना असन्द्रा पर वादी राम सुमिरन निवासी नसीपुर मजरे मंसारा थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक-09.10.2024 की शाम उसकी पत्नी घर के पीछे शौच के लिए गई थी, जहां पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना असन्द्रा पर मु0अ0सं0 396/2024 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं उक्त घटना से सम्बन्धित समस्त पहलुओं की जांच करते हुए घटना का अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी डॉ0 अखिलेश नारायण सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट श्री जटाशंकर मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिए गये। डॉग स्कवाड व फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन किया गया। इसी क्रम में दिनांक 16.10.2024 को स्वाट/सर्विलांस व थाना असन्द्रा पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेंस एवं डिजिटल डेटा की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1. श्रवण कुमार पुत्र छंगालाल रावत, 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 वंशीलाल रावत निवासीगण नसीपुर मजरे मंसारा थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी को नैपुरा घाट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशांदेही पर आलाकत्ल एक अदद चाकू बरामद किया गया। अभियोग उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त श्रवण कुमार का सगी चाची/मृतका से लगभग 10 वर्षों से अवैध सम्बन्ध था। अभियुक्त श्रवण का विवाह लगभग 05 वर्ष पूर्व हुआ था, जिस कारण अभियुक्त श्रवण का चाची/मृतका से पूर्व की भांति मिलना-जुलना नहीं हो पाता था, जिस कारण मृतका, अभियुक्त श्रवण से नाराज रहती थी एवं पूर्व की भांति ही सम्बन्ध बनाने एवं रुपये देने का दबाव बनाती थी एवं उसकी बाते न मानने पर झगड़ा करती व अभियुक्त के परिवार में सारी बाते बता देने की धमकी भी देने लगी थी। मृतका की वजह से अभियुक्त श्रवण का परिवार टूटने की कगार पर आ गया था। अभियुक्त श्रवण ने मृतका से पीछा छुड़ाने के लिए गांव के ही अपने दोस्त राजेन्द्र कुमार के साथ योजना बनाई। योजना के तहत दिनांक 09.10.2024 की शाम को अभियुक्त श्रवण ने अपनी चाची/मृतका को घर के पीछे खेत में बुलाया तथा राजेन्द्र को खेत के बाहर निगरानी के लिए खड़ा कर दिया। मृतका घर से शौच का बहाना करके खेत में पहुंच गई एवं अभियुक्त श्रवण द्वारा चाची/मृतका को बातों में उलझा कर उस पर चाकू से कई वार कर हत्या कर दी गई। अभियुक्त श्रवण, राजेन्द्र को लेकर गांव में ही मजार के पास स्थित नल पर अपने हाथ पैर धोने के बाद मोटरसाइकिल

से जाकर नहर के पास झाड़ी में हत्या में प्रयुक्त की गई चाकू को छिपा दिया गया एवं नई सड़क पहुंचकर दोनों ने शराब पी एवं हत्याकारित करते समय प्रयुक्त चाकू से अभियुक्त श्रवण के हाथ में आई चोट का डॉक्टर से उपचार कराया गया एवं पट्टी बंधाई गई। अभियुक्त श्रवण द्वारा हाथ में लगी चोट को दुर्घटना का रूप देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल का इण्डीकेटर तोड़ दिया गया एवं नम्बर प्लेट को क्षतिग्रस्त करते हुए बाइक पर स्क्रेच बना दिये गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. श्रवण कुमार पुत्र छंगालाल रावत निवासी नसीपुर मजरे मंसारा थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 वंशीलाल रावत निवासी नसीपुर मजरे मंसारा थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी

बरामदगी का विवरण-

एक अदद आलाकत्ल चाकू

पुलिस टीम-

स्वाट टीम-

1. उ0नि0 श्री अजय सिंह प्रभारी स्वाट टीम
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र विक्रम सिंह
3. हे0का0 बलवन्त सिंह, हे0का0 मुकेश यादव, का0 अंकित तोमर
4. का0 प्रवीण शुक्ल, का0 अभय कुमार
5. का0 अभिषेक राजवंशी, का0 नितिन कुमार

सर्विलांस सेल-

1. उ0नि0 श्री संजीव प्रकाश सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद बाराबंकी
2. उ0नि0 श्री रामाधार सर्विलांस सेल जनपद बाराबंकी
3. हे0का0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 जितेन्द्र वर्मा
4. हे0का0 मजहर अहमद, हे0का0 पवन गौतम
5. हे0का0 अनुज वर्मा, हे0का0 चन्द्रभान यादव, का0 शैलेन्द्र कुमार

थाना असन्द्रा-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह थाना असन्द्रा
2. अतिरिक्त निरीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह
3. व0उ0नि0 श्री सुधाकर यादव
4. हे0का0 संजय कुमार, का0 आनन्द यादव
5. का0 राहुल कुमार, का0 विनय कुमार, म0का0 सुरभि वर्मा